आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व. गोवर्धनदास निवासी 41, जमुना डेयरी, सोडाला, अजमेर रोड, जयपुर का पुत्र तद्भव शर्मा एवं पुत्रवधु सोनाली मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य के पैतृक मकान पर जबरन कब्जा करके मेरे अभिभाष्य को बेदखल करने को आमादा होने के कारण तद्भव शर्मा एवं पुत्रवधु सोनाली को म. न. 41, जमुना डेयरी, सोडाला, अजमेर रोड, जयपुर एवं समस्त चल व अचल सम्पति से बेदखल करता है तथा तद्भव शर्मा एवं पुत्रवधु सोनाली से अपने समस्त प्रकार के रिश्ते, नाते, सबन्ध समाप्त करता है। तद्भव शर्मा व सोनाली से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई लेन-देन, संव्यवहार व संबन्ध रखेगा तो उसके लिये मेरा अभिभाष्य किसी भी प्रकार से जिम्मेवार व उत्तरदायी नहीं होगा।
जयपुर दि. 19.11.2025 (कुलदीप गौड़, एडवोकेट-9610228333)

चौथे की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी
श्रीमती चन्द्रकान्ता कपूर
(पत्नी स्व. श्री चिमनलाल कपूर) का स्वर्गवास दिनांक 17.11.2025 को हो गया है।चौथे की बैठक/रस्मपगडी (गुरूवार) दिनांक 20.11.2025 को दोपहर 2.00 से 3.00 बजे लक्ष्मीनारायण मन्दिर, राजापार्क, जयपुर में होगी।
शोकाकुल- हेमन्त कपूर, श्याम कपूर, विकास कपूर एवं समस्त कपूर और मेहता परिवार

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या-0141-4901853
क्रमांक-4399 दिनांक-19.11.2025
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फ्लैट संख्या 4/193 (एच.एच.) जवाहर नगर जयपुर क्षेत्रफल 102.45 वर्ग मीटर का आवंटन श्री माणक चन्द बैरठी पुत्र श्री गुलाब चन्द बैरठी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2118 दिनांक 22.03.1980 जारी किया गया था। तत्पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 171 दिनांक 02.05.1989 जारी कर उक्त फ्लैट श्री माणक चन्द बैरठी एवं श्रीमती प्रतिभा बैरठी के संयुक्त नाम से किया गया। उनके द्वारा संयुक्त नाम से फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 31.12.1998 को करवाया गया। श्री माणक चन्द बैरठी की मृत्यु दिनांक 22.01.2007 एवं श्रीमती प्रतिभा बैरठी की मृत्यु दिनांक 11.03.2025 को हो जाने के कारण श्रीमती मीनल गोयल पत्नी श्री कृष्ण मोहन गोयल के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रति, उपंजीबद्ध वसीयतनामा की छाया प्रति एवं वसीयतनामा में अंकित गवाह का शपथ एवं पहचान पत्र प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती मीनल गोयल पत्नी श्री कृष्ण मोहन गोयल के पक्ष में फ्लैट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

राजस्थान उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-8685 दिनांक-18.11.2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, योजना में आवास/फ्लैट संख्या 192/135(LIG). का आवंटन श्रीमती सुमन टांक पत्नी श्री कुशाल चन्द टांक को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4957 दिनांक 27.02.2004 का जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 296/362 दिनांक 15.04.2013 के द्वारा श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी श्री कपिल कुमार के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रो निष्पादन दिनांक 30.04.2013 को कर दिया गया। श्रीमती कल्याणी शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 22.02.2024 को श्रीमती ममता पत्नी श्री चौथी लाल मीणा को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक अष्टम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती ममता द्वारा उक्त आवास को दिनांक 08.08.2025 को श्री कृष्ण कुमार सिंघल पुत्र श्री विष्णु चन्द को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री कृष्ण कुमार सिंघल पुत्र श्री विष्णु चन्द द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री कृष्ण कुमार सिंघल पुत्र श्री विष्णु चन्द का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.)
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली बहरोड
क्रमांक/भू.अ./2025/4481 दिनांक-19.11.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच में एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 15754/2025 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2025 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः ग्राम महरमपुर नवाब के खसरा संख्या 56, 58 का राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 30 सहपठित धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी बाबत यदि किसी को कोई उज्र/आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.)
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली बहरोड
क्रमांक/भू.अ./2025/4480 दिनांक-19.11.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच में एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 13584/2025 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2025 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः ग्राम बसई के खसरा संख्या 924, 929, 932, 948, से 951, 999, 1441 से 1456, 1896 से 1903, 1912 से 1918, 1912/2052, 1999 से 1486, 1919, 1927 का राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 30 सहपठित धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी बाबत यदि किसी को कोई उज्र/आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.)
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली बहरोड
क्रमांक/भू.अ./2025/4479 दिनांक-19.11.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच में एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 13979/2025 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2025 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः ग्राम बसई के खसरा संख्या 1414, 1415, 1416, 858 से 862, 980, 981 एवं 1467 का राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 30 सहपठित धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी बाबत यदि किसी को कोई उज्र/आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.)
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली बहरोड
क्रमांक/भू.अ./2025/4478 दिनांक-19.11.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच में एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 11869/2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2025 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः ग्राम बासड़ी के खसरा संख्या 551, 554, 570, 571, 607 एवं ग्राम रामसिंहपुरा के खसरा संख्या 960 का राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 30 सहपठित धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी बाबत यदि किसी को कोई उज्र/आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'इंदिरा गांधी का जीवन साहस-राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण'

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृद्धांजलि दी

दौसा । नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बुधवार को स्थानीय चौधरी धर्मशाला में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृद्धांजलि दी गई।

दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंदिरा गांधी का जीवन साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उनके नेतृत्व ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत किसी भी चुनौती का सामना पूरी दृढ़ता से कर सकता है। इंदिरा गांधी ने गरीब, किसान, मजदूर, महिला और आम जन के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए। 1971 के युद्ध में उनका नेतृत्व, गरीबी हटाओ का संकल्प, हरित क्रांति जैसी योजनाएँ-इन सभी ने भारत को मजबूत आधार दिया। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक निर्णायक आयरन लेडी थीं, जिनके निर्णयों ने भारत की दिशा बदली। आज उनकी जयंती पर मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि हम इंदिरा के दिखाए मार्ग पर चलें । जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दें, और संगठन को गाँव-गाँव, वार्ड-वार्ड तक मजबूत बनाएं। उनकी प्रेरणा हमें हमेशा यह सिखाती है कि देशहित सबसे ऊपर है। वरिष्ठ कांग्रेसी एवं राजीव गांधी कोऑर्डिनेटर अब्दुल मन्नान खान ने कहा कि इंदिरा गांधी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थीं, वे दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि और राष्ट्रहित के लिए समर्पण की प्रतिमूर्ति थीं।

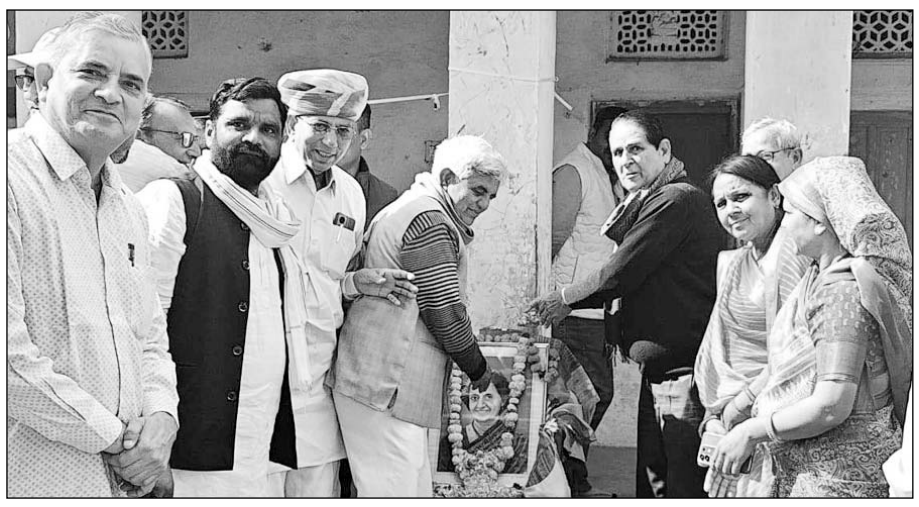

कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प भेंट किया ।

वुमन एम्पावरमेंट 30 को

दौसा। टाइम फिटनेस क्लब एवं दा लेडीज क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 30 नवंबर को फर्स्ट टॉवर स्थित गोल्ड सिनेमा में आयोजित वुमन एम्पावरमेंट 2025 समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार होगें। मीडिया प्रभारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव होंगे एवं दौसा जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा साइबर क्राइम के प्रति मुख्य वक्ता के रूप में महिलाओं को जागरूक करेंगे। समारोह की मुख्य संरक्षक भाजपा जिलाअध्यक्ष लक्ष्मी रेला, संरक्षक नगरपरिषद सभापति कल्पना जैमन एवं संयोजक किरन डोरिया ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें पीले चावल प्रदान कर समारोह के लिए आमंत्रित किया। समारोह सह संयोजक डॉ. मूर्ति मीणा ने बताया कि वुमन एंपावरमेंट समारोह 2025 के अंतर्गत दौसा जिले की 11 महिला शख्सियतों के अलावा 11 सक्रिय महिला संगठनों का सम्मान किया जाएगा।इसके अलावा समारोह के तहत दौसा जिले की सर्वश्रेष्ठ गायिका,सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना एवं भारतीय संस्कृति परिधान में मिस इंडिया ग्लैम दौसा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

आम सूचना
मैं रवि चौधरी निवासी ए-19, जैन्स कॉलोनी, विद्याधर नगर द्वारा भूखंड 13-A, 14-A जो कि जेन्स कॉलोनी में 300 वर्गगज है क्रय हेतु ज्ञानेंद्र सिंह एवं पवन कुमार चौधरी से रजिस्टर्ड क्रय इकरारनामा 19.11.2025 को चेकों से भुगतान कर किया है उक्त विक्रय इकरारनामा बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, जे.डी.ए. एवं नगर निगम अथवा व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 10 दिवस अन्दर मियाद मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा गुजरे मियाद कोई किसी प्रकार की आपत्ती मान्य नहीं होगी। सूचित रहें।
रवि चौधरी- 7073053321

आम सूचना
मैं मोहन सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह चौधरी उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी 36, गोपाल नगर, बेंक ऑफ बडोदा के सामने, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र प्रशान्त उर्फ पवन चौधरी मेरे तथा मेरी पत्नी के कहने में नहीं है तथा दोनों पति पत्नी हमारे साथ बदसलूकी करते हैं इसलिये मैं प्रशान्त उर्फ पवन चौधरी को उसकी पत्नी सहित अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं तथा उनके द्वारा उनके द्वारा किये गये किसी भी लेनदेन तथा अन्य कार्य की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
दिनांक 19.11.2025 मोहन सिंह चौधरी

(18) लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान
राजस्थान वेटेनरी यूनिवर्सिटी, बीकानेर से मान्यता प्राप्त
2 वर्षीय पशु चिकित्सा डिप्लोमा
12th कृषि अथवा जीव विज्ञान
एडमिशन मैनेजमेंट सीट
229(A), राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

NAME CHANGE
I, Santosh Kanwar W/o Sh. SHYAM SINGH R/O G-902, Gurushikhar Jayrajpura, Beelwa Kalan,. Bilwa, Tonk Road, Jaipur-302022. my name in my Passport mentioned as SANTOSH KANWAR SHEKHAWAT whereas my correct name is SANTOSH KANWAR. "Both names are of same person" my correct name should be treated as SANTOSH KANWAR for all official purposes.

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. दूदू
वाद संख्या-194/2025
1. अर्चना पत्नी पाबुदान जाति रैबारी निवासी रैबारियों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 01 उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.। 2. बाजू पुत्री पाबुदान जाति रैबारी निवासी रैबारियो का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 01 उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.। 3. पप्पू पुत्र पाबुदन जाति रैबारी निवासी रैबारियों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 01 उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.। 4. रामेश्वर पुत्र पाबुदान जाति रैबारी निवासी रैबारियों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 01 उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.।
...वादीगण
बनाम
1. हरखास व आम। ...प्रतिवादी
वाद बाबत घोषणा
वादीगण ने आपके विरूद्ध वाद उपरोक्त के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 24.11.2025 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद दिनांक 18 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू, जिला जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
125 18-11-25 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर, प्रथम, जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरूद्ध
रोहन कुमावत
वाद बाबत वसूली 2,28,750.00/- रूपये
वाद संख्या 87 सन् 2022
बनाम रोहन कुमावत पुत्र श्री द्वारका लाल कुमावत, निवासीः- मकान संख्या 5/327, सेक्टर नं. 5, अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीया नगर, जयपुर-302017 एवं मकान संख्या 7/164, मालवीया नगर, जयपुर-302017 एवं केयर ऑफ एम.ए.आर्चीटेक्टस् प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं 1. ग्रीनवुड्स, लालकोठी योजना, सहकार मार्ग, जयपुर
वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 25 माह नवम्बर सन् 2025 को दिन में 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख का इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारीख 18 माह 11 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
सील न्यायाधीश आज्ञा से
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/883 चूंकि प्रार्थी श्री NITISH BAGRI, A-19, ROSHAN NAGAR, SIRSI ROAD, NEAR KANAKPURA RAILWAY STATION, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास वालडी चेरिटेबल ट्रस्ट A-19, ROSHAN NAGAR, SIRSI ROAD, NEAR KANAKPURA RAILWAY STATION, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27.01.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/891 चूंकि प्रार्थी श्री ARHANT DURLABHJI डी-24, दुर्लभ निवास पृथ्वी राज रोड, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास गिरधर लाल दुर्लभजी मेमोरियल ट्रस्ट, डी-24, दुर्लभ निवास पृथ्वी राज रोड, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.01.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

महिलाओं को उद्योग लगाने की जानकारी दी

मार्किंटिग व ब्रांडिंग पर प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे।

निवाई। यहां एसएचजी महिलाओं का मार्किंटिग एवं ब्रांडिंग पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य ममता चौधरी व सोनू कंवर रही। हेमराज धानुक ने बताया कि राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पहल के अंतर्गत तीन दिवसीय मार्किटिंग एवं ब्रांडिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि यह शिविर आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सीएसआर विभाग द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को गुणवत्ता प्रबंधन में दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण में निवाई ब्लॉक के तीस एसएचजी समूहों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और आय सृजन के तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण एसएचजी महिला उद्यिमयों को उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने, बाजार में बेहतर स्थान बनाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर बामणिया ने बताया की महिलाओं को स्वयं के लघु एवं कुटीर उद्योग को बढावा दिया जा सकता है। शिविर में प्रशिक्षक मनीष चौधरी, दीपेंद्र राजावत, ममता खंगार, अंतिम बाला, डिम्पल खंगार, सोनू सैनी, सावित्री वर्मा व कृष्णा खंगार सहित कई महिला समूहों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

एसीबी की बड़ी कार्रवाई

दौसा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए दौसा एसीबी चौकी के कांस्टेबल हरभान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दौसा के डीएसपी नवल किशोर मीणा को हटाकर जयपुर मुख्यालय तैनात किया गया है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार जयपुर नगर प्रथम यूनिट को मिली शिकायत में बताया गया था कि मुकदमा संख्या 261/2025 में फुलेरा थाने के इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश व अन्य के खिलाफ जांच चल द्य रही है। इस जांच की जिम्मेदारी दौसा डीएसपी नवल किशोर मीणा के पास थी।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें आरोपी नहीं बनाने के एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के मुताबिक पहले ही 2 लाख रुपये लिए जा चुके थे और उस आधार पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी आनंद शर्मा के नेतृत्व में पड़ताल शुरू की गई। 12 नवंबर को किया गया गुप्त सत्यापन कांस्टेबल हरभान सिंह (बेल्ट नंबर 591) पर रिश्वत मांगने की पुष्टि करता है।

जानकारी दी

निवाई । किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जयपुर (राजफेड) के तत्वावधान में 72 वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा प्लेटफार्म, सहकारी समितियां, रसोई सहकारी समितियां व कल्पनीय क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियां का विस्तार विषय पर उपस्थित सैकड़ों किसानों से चर्चा की गई।

खोया पाया
मोजी हाउसिंग कॉ आपरेटिव सोसायटी लि. की आवासीय योजना मोजी नगर जयपुर के प्लॉट नं. 109 का जेविप्रा द्वारा जारी मूल सम्पूर्ण पट्टा, साईट प्लान, स्टॉम्प पेपर कहीं गुम हो गये हैं। मिलने पर सूचित करें। मनन शर्मा एवं शर्मा मीनाक्षी मुकेश- मो. नम्बर 7016784470

मेरा मकान नं. 180/105 प्रताप नगर, सांगानेर का मूल आवंटन पत्र गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें- कुसुमलता अग्रवाल 7850962020

परिशिष्ठ G - अपील, निर्देश व पुनर्विलोकन, संख्यांक 6
न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-9, जयपुर जिला जयपुर, (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी का नाम श्रीमती सोनल शुक्ला
अपील की सुनवाई के लिए नियम दिन की प्रत्यर्थी को सूचना (आदेश 41 का नियम 14)
विविध सिविल अपील/173/2025 में
विकास ट्रेडर्स बनाम ठाकुर श्री चतुर्भुज जी विराजमान मंदिर व अन्य
NEXT DATE: 10-12-2025
के न्यायालय की तारीख को संख्यांक वाद में पारित डिक्री की अपील।
प्रेषिती-
नाहर जान टी एजेंसी
जरिये मालिक उषा देवी पत्नी श्री रतन मल्होत्रा, निवासी 230, राजापार्क, गली नंबर-3, जयपुर, RAJASTHAN
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में की डिक्री की अपील में विकास ट्रेडर्स द्वारा उपस्थापित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता. 10.12.2025 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना पाधिकृत